

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::



क्र./ 7767 / जि.प./ MGNREGA / 2013-14 /

कांकेर दिनांक 05/08/2013

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक / 4481 / स्था./ रोगयो/ 2008 रायपुर दिनांक 03.09.2008 के आधार पर दिये गये वित्तीय अधिकार के परिपालन में महात्मा गांधी नरंगा योजना के तहत सहायक संचालक उद्यान कांकेर द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव के आधार निजी भूमि पर काजू पौध रोपण के 08 कार्य हेतु रुपये 115.330 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहायक संचालक उद्यान कांकेर को प्रदाय की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	कार्य शीर्ष	ग्राम/कार्यस्थल	विकास खण्ड	प्रशासकीय स्वीकृति राशि				एजेंसी का नाम	
					नजदूरी	सामग्री	आकस्मिक	योग		
1	सानुदायिक शिवानसाद/मनाउ, शिवजी/मनाउ, देवनाथ/मनाउ	काजू फलोद्यान मनाउ/बुटांगी, शिवलाल/मनाउ,	अजा / अजजा की भूमि पर रोपण कार्य	कोदापाखा	दुर्गकोदल	10.820	6.400	0.100	17.320	स.संघ, उद्यान
2	सानुदायिक मोनी/पुरुषोत्तम, रेखा/बंशी, अघनबल्ली/हरिराम	काजू फलोद्यान उषा/ईश्वर, बंशीलाल/पुरुषोत्तम,	अजा / अजजा की भूमि पर रोपण कार्य	गोटलमुण्डा	भानुप्रतापपुर	10.820	6.400	0.100	17.320	स.संघ, उद्यान
3	सानुदायिक संगोन/इतवार, सोनसाय/सदाशाम, धरमसिंह/मानुराम, श्रीमती केजई/गाडाराम	काजू फलोद्यान इषामलाल/बैदुशाम, मानुराम/दलबू, रामप्रसाद/गाडाराम,	अजा / अजजा की भूमि पर रोपण कार्य	बुवा	भानुप्रतापपुर	10.820	6.400	0.100	17.320	स.संघ, उद्यान
4	सानुदायिक गीतादेव/समजीशाम, रामजनम/रुखनुराम, साधूराम/समदयाल, रामतसिंह/रामलाल, सुकबती/चमरु, दशरु/भावसिंह, श्रीमती कासनबाई/सगउ, पुनीतशाम/सुखूराम, धमराशाम/रामप्रसाद,	काजू फलोद्यान शिवनाथ/जगमोहन, फोगूराम/अमरसिंह, रामकुमार/देवलाल, श्रीमति सुकदेव/सैनु, राजकुमार/मेहरसिंह, मकाराम/रजउ, दरबारी/घैतु, देववंद/प्रभूराम, रामवंद/प्रभूराम,	अजा / अजजा की भूमि पर रोपण कार्य	सुलेगोदी	कांकेर	10.820	6.400	0.100	17.320	स.संघ, उद्यान
5	सानुदायिक मंगलशाम/बुजलाल, सुखीशाम/रिगू, सुन्नशाम/मंगतु, श्रीराम/शिवलाल, रामाश्री/वैनु, प्रभूराम/शिवलाल, बंशीराम/मुल्लू, रामनाथ/सुंदरू, देवजी/प्रभूराम, हरिराम/प्रभूराम	काजू फलोद्यान धनीशाम/पुनउराम, शनिशाम/मंगलू, दलसाय/वीरसिंह, सुकदेव/सैनु, राजकुमार/मेहरसिंह, मकाराम/रजउ, दरबारी/घैतु, देववंद/प्रभूराम, रामवंद/प्रभूराम,	अजा / अजजा की भूमि पर रोपण कार्य	मदांगोटी	कांकेर	16.220	10.200	0.150	26.570	स.संघ, उद्यान
6	सानुदायिक नाभूराम/मोहन, सुकबती/चमरु, रामकुमार/देवलाल, मीतूराम/दुलोरे, अनिल/रजउ, दुखूराम/पाकलू, सुमरीत/सुनाराम, रजूराम/साहनी	काजू फलोद्यान नथेला/मोहन, हीरलाल/दशरु, श्रीमती सगराम/रामलाल, साधूराम/सदासिंह, रजमन/साहनी, सुकलाल/सुंदरू, श्रीमति आराराम/सामरु,	अजा / अजजा की भूमि पर रोपण कार्य	सुलेगोदी	कांकेर	11.890	7.480	0.110	19.480	स.संघ, उद्यान
योग :-					6	71.390	43.288	0.660	115.330	

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

- 1 सचिव छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/1830/दिनांक 02.05.2006 में दिये गये निर्देश के कठिका 08 के अनुसार परिवार रोजगार कार्ड धारक परिवारों को ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना है ।
- 2 कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता मूल्यांकन समिति का प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक होगा ।
- 3 योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित रहेगी। ठेकेदारी/बेधौलिये से कार्य कराते हुये पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के कार्य निरस्त कर दिया जायेगा एवं व्यय की गई राशि संबंधित एजेंसी से वसूल किया जायेगा। कार्य संरचना की सुस्था एवं गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करते हुये मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीन (Labour displacing machine) का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा ।
- 4 कार्य स्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, छाया हेतु टेड, झुलाघर इत्यादि उपलब्ध करायी जावेगी ।
- 5 योजनांतर्गत कार्यरत व्यक्ति को घोट लगने अथवा कार्य करते समय दुर्घटना से अस्थायी अपंगता की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निःशुल्क आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी ।
- 7 मस्टर रोल में श्रमिक का परिवार रोजगार कार्ड क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित की जावेगी ।
- 8 मस्टर रोल में दर्शाये गये श्रमिकों, भुगतान की राशि, कार्य दिवस, अकार्य दिवस के विवरण ग्राम सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया जाना अनिवार्य होगा ।
- 9 कार्य प्रारंभ के पूर्व प्रगति के दौरान एवं पूर्णता पर्यंत कार्य का फोटोग्राफ लिया जावे जिसे पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करके जमा किया जावे ।
- 10 प्रस्तावित कार्य के स्थल शासकीय व अविवादित होना चाहिए उक्त सौल अन्य योजना हेतु आरक्षित नहीं होना चाहिए ।
- 11 कार्य में बाल श्रमिक को न रखा जावे ।
- 12 यह सुनिश्चित कर लेवें कि 150 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ है या रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है । उसको संलग्न किया जावे ।
- 13 कार्य स्थल पर मस्टर रोल व स्टीमेट अनिवार्य रूप से रखा जावे ।
- 14 स्वीकृत कार्य मस्टर रोल के माध्यम से क्रियान्वित किया जावे । मस्टर रोल कार्यक्रम अधिकारी (मु.का.अ.ज.पं.) से प्राप्त किये जावेंगे
- 15 स्वीकृत कार्य के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा 01 अप्रैल 2013 से निर्धारित मजदूरी दर रूपये 146.00 रूपये प्रति दिन अथवा शासन द्वारा निर्धारित दर के आधार पर भुगतान किया जावे ।
- 16 स्वीकृत कार्य के अंतर्गत सामग्री पर 40 प्रतिशत एवं मजदूरी पर 80 प्रतिशत व्यय करना सुनिश्चित करें । अनुपात के विरुद्ध अधिक व्यय कदापि न किया जावे ।
- 17 मजदूरी का भुगतान सप्ताह के एक निश्चित दिन जैसे बाजार दिवस को जन प्रतिनिधियों तथा निगरानी समिति के समक्ष किया जावे । मजदूरी भुगतान विवरण अनिवार्य रूप से " परिवार रोजगार कार्ड " में अंकित कर लिया जावे ।
- 18 प्रत्येक कार्य हेतु रोजगार पंजी का संचारण करें एवं पंजी कार्य स्थल में रखा जावे ।
- 19 प्रत्येक कार्य स्थल पर साईन बोर्ड में आवश्यक जानकारीया लिखकर प्रदर्शित किया जावे ।
- 20 कार्य प्रारंभ से लगातार 14 दिनों तक किया जावे ।
- 21 प्रत्येक कार्य Asset Register में पंजीबद्ध किया जावे ।
- 22 कार्य में योजनांतर्गत पंजीकृत मजदूरों को ही संलग्न किया जावे तथा मजदूरों की मांग संबंधित ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक से किया जावे तथा रोजगार सहायक द्वारा उपलब्ध कराये गये मजदूरों को ही रोजगार प्रदान किया जावे ।
- 23 मस्टर रोल की एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत, एक प्रति संबंधित जनपद पंचायत एवं एक प्रति जिला पंचायत में प्रति सप्ताह जमा करना अनिवार्य होगा ।
- 24 मजदूरी का भुगतान बैंक/ डाकघर के माध्यम से किया जावे ।

उक्त कार्य हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखा जावे ।

- 1 रोजगार गारंटी योजनांतर्गत उस क्षेत्र में अन्य कार्य संचालित है / नहीं ।
- 2 आस-पास के 5 किमी के परिधि में पंजीकृत मजदूरों द्वारा कार्य की मांग की गई है अथवा नहीं ।
- 3 कार्य में उन्ही मजदूरों को नियोजित किया जावेगा जिनकी सूची ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत द्वारा आपको प्राप्त हो ।
- 4 यह सुनिश्चित कर लेवें कि 150 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ है या नहीं ।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर


पृ.क्र./7970/ जि.पं./MGNREGA/2013-14

कांकेर दिनांक 05/08/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर ।

- 2 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व (राहत) विभाग मंत्रालय रायपुर ।
- 3 आयुक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
- 4 माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र कांकेर ।
- 5 माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
- 6 माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र, कांकेर/मानुप्रतापपुर/अंतागढ़ को सूचनार्थ ।
- 7 कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ ।
- 8 सहायक संचालक उद्यान कांकेर जिला उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर/मानुप्रतापपुर/पंखाजूर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 10 लेखा अधिकारी जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर को अधिम कार्यवाही हेतु ।
- 11 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 12 लेखा शाखा (MGNREGA) जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 13 कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर